फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

सख्या:अठ्ठारह–एएसआई(लिपिक)271–2023 दिनांक:लखनऊ:मई 31,2024

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: UPPRPB-PROM04000(4002)/1/2023-PROM-SEC दिनॉक:01.01.2024 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 58 कार्मिकों को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उपयुक्त पाये गये 58 कार्मिकों के सापेक्ष दिनांक: 30.04.2024 तक पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की विद्यमान 53 रिक्तियों के सापेक्ष 53 पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुये यह अंकित किया गया है कि शेष बच रहे चयनित कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह मई 2024 से माह जून–2024 तक होने वाली पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा।

2. दिनांक: 31.05.2024 को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 02 कर्मियों के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत वर्तमान में पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद की 02 रिक्तियां विद्यमान हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या:4/2024/417/सैंतालीस–का–1–2024–13(2)/2024 दिनांक 10.05.2024 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के क्रमांक–55 एवं 56 पर अंकित कर्मी को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
55	199	020790022	श्रीमती सरोज कुमारी	स्व0 राधेश्याम यादव	16-02-1970	सीबीसीआईडी	2023
56	203	020480022	खीम सिंह	स्व0 गोपाल सिंह	02-04-1979	बरेली	2023

3. पदोन्नति प्राप्त उपरोक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कार्मिकों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89–का–1–1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

3/5/24

संलग्नकः प्रारूप (क)

(सुरेन्द्र नाथ तिवारी)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी, उ0प्र0 लखनऊ।
3–अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली।
4–पुलिस महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली।
5–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)--पुत्र

--------------निवासी----------------थाना------------जनपद----------------

वर्तमान में(जनपद/इकाई)----------------------------------नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनरथ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनरथ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----------में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-------को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0-------------धारा-------------------------थाना--------------

जनपद----------में लम्बित है, जिसमें दिनांक:----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में--------------स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांक:–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।